जनगणना क्या है? जनगणना को महत्वपूर्ण क्या बनाता है? 2021 की जनगणना अनिश्चित काल के लिए क्यों टाल दी गई? भारत में जनगणना के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत जनगणना कहलाता है।
एक सभ्य राज्य और राज्य की पहचान पारंपरिक रूप से बिना किसी दबाव के जनगणना करने की क्षमता रही है।

जनगणना क्या है?

किसी देश या देश के किसी स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र के सभी लोगों के संबंध में, एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, मूल्यांकन करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को जनसंख्या जनगणना के रूप में जाना जाता है।
यह एक विशिष्ट तिथि के अनुसार जानकारी प्रदान करता है तथा इसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े शामिल होते हैं।
भारतीय जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में से एक है।

गृह मंत्रालय **का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय** प्रत्येक दस वर्ष में जनगणना कराने का प्रभारी होता है।
1951 तक, प्रत्येक जनगणना के लिए जनगणना संगठन का गठन तदर्थ रूप से किया जाता था।

1948 का जनगणना अधिनियम जनगणना के आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
जनगणना के लिए दर्ज की गई जानकारी इतनी निजी होती है कि कानूनी प्रणाली भी उस तक नहीं पहुंच पाती।
अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या अनुपालन न करने पर, कानून में सार्वजनिक अधिकारियों और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

जनगणना के लिए संवैधानिक समर्थन

जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि जनगणना कैसे की जाएगी।
भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 246** के अनुसार , **जनगणना** एक **संघ का विषय** है ।
संविधान की **सातवीं अनुसूची** में इसका उल्लेख है ।

जनगणना का उद्देश्य क्या है?

केन्द्र एवं राज्य सरकारों की योजना एवं नीति निर्माण के लिए जानकारी एकत्र करना।
यह शहरों और राज्यों को नकदी और सहायता के आवंटन के बारे में सरकार के निर्णय लेने में सहायता करता है।
अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शिक्षाविद्, व्यवसायी, निर्माता और अन्य लोग जनगणना के आंकड़ों का व्यापक उपयोग करते हैं।

जनगणना को महत्वपूर्ण क्या बनाता है?

आवधिक जनगणना का आयोजन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, प्रवास, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन और मृत्यु दर, और कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय डेटा इस सबसे विश्वसनीय सूचना स्रोत द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण और परिसीमन

संसदीय, विधानसभा, पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और आरक्षण भी जनगणना द्वारा उपलब्ध कराई गई जनसांख्यिकीय जानकारी के अनुसार किया जाता है।

प्रशासन का उद्देश्य

जनगणना पिछले दस वर्षों में देश की प्रगति का मूल्यांकन करने और सरकार की जारी योजनाओं पर नज़र रखने के लिए आधार का काम करती है।

प्रभावी शासन

सरकार प्रबंधन, योजना और नीति-निर्माण के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करती है।

विस्तृत विवरण

यहां तक कि सबसे अच्छे सैंपल सर्वे भी जनगणना से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हर भारतीय की गिनती करने का वादा किया जाता है। जब राज्य जनगणना के दौरान हर व्यक्ति से जुड़ता है, तो उसके लिए डेटा से बचना या उसे टालना मुश्किल हो जाता है।

अनुदान

जनगणना से प्राप्त जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर वित्त आयोग राज्यों को अनुदान प्रदान करता है।

कल्याणकारी योजनाएं

जनगणना वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करके पहचान बनाने और समय के साथ इसकी पुष्टि करने की कुंजी है। जनगणना के आँकड़े आसान, क्रॉस-टेम्पोरल तुलना प्रदान करते हैं।

व्यवसायों के लिए बेहतर पहुँच

व्यापारिक घराने और उद्योग अपने परिचालन को विकसित और मजबूत करने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि वे पहले अप्रयुक्त बाजारों में विस्तार कर सकें।

भारत में अब तक की जनगणना

भारत में जनगणना की गतिविधियाँ **सबसे पहले** मौर्य वंश के शासनकाल में आयोजित की गई थीं, जो कि बहुत पहले की बात है। यह 1865 से 1872 तक आयोजित की गई थी, लेकिन यह 1881 से लगातार चल रही है, जिससे यह सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। 1881 से 2011 तक, भारत ने महामारी, युद्ध, विभाजन और अन्य अशांति के बावजूद लगातार दशकीय जनगणना आयोजित की, जिसमें कोविड-19 एकमात्र अपवाद था।

2011 की जनगणना देश की पंद्रहवीं राष्ट्रीय जनगणना है।

जनगणना के अनुसार, कुल प्रजनन दर (TFR) में तेजी से गिरावट आ रही है और यह स्थिर होने की ओर अग्रसर है। 2011 की जनगणना ने इस विचार को भी गलत साबित कर दिया कि शहरी और ग्रामीण भारत में तलाक की दरें अलग-अलग हैं। शहरी क्षेत्रों में तलाक की दर (0.89%) ग्रामीण क्षेत्रों (0.82%) के लगभग बराबर है।

2021 की जनगणना अनिश्चित काल के लिए क्यों टाल दी गई?

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई है।

हालाँकि, यह पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्व-गणना का विकल्प भी शामिल होगा।

जनगणना 2021 में देरी का प्रभाव

जनगणना 2021 में देरी के प्रभाव निम्नलिखित हैं:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार , **75% ग्रामीण निवासी** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोग आते हैं।

अगर हम 137 करोड़ की अनुमानित आबादी का इस्तेमाल करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सब्सिडी वाले खाद्य लाभों से वंचित रह जाएँगे। सबसे ज़्यादा अंतर उत्तर प्रदेश और बिहार में होगा, जहाँ क्रमशः 2.8 करोड़ और 1.8 करोड़ लोगों के वंचित होने का अनुमान है।

प्रवासन डेटा में भारी अंतराल

कोविड-19 लॉकडाउन से यह पता चला कि वर्तमान 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके संख्या, कारण और प्रवासन पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सका।

2011 की जनगणना में प्रवासन पर डी-टेबल्स को 2019 में ही सार्वजनिक किया गया था, इसलिए जब वे प्रकाशित हुए तो वे पहले से ही पुराने थे।

वास्तविकता में, प्रवासन डेटा का उपयोग व्यापक आर्थिक नीति और नियोजन में नहीं किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाएं

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों को उपयोग में लाने की सरकार की मंशा के बावजूद, प्रस्तावित विस्तार के लिए बजटीय आवंटन असफल रहा।

यद्यपि अधिकांश योजनाएं अपने लाभार्थियों को निर्धारित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग नहीं करती हैं, फिर भी नीतियों की योजना, बजट और क्रियान्वयन इस पर निर्भर करता है।

समय के साथ जनसांख्यिकी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अलग-अलग आयु और प्रजनन संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

2011 की जनगणना के मुख्य निष्कर्ष

2011 की जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

जनसंख्या

2001 और 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में **17.7% की वृद्धि हुई** , जबकि इससे पूर्व दशक में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

भारत **की कुल जनसंख्या अब 1.21 बिलियन** है , जो पिछले दस वर्षों की तुलना में 17.7% अधिक है। महिला जनसंख्या वृद्धि पुरुष वृद्धि से अधिक रही।

लड़कियों की वृद्धि दर 18.3% थी, जो कि लड़कों की वृद्धि दर (17.1%) से अधिक थी।

बिहार में मुख्य राज्यों में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि (25.4%) हुई है, जबकि 14 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि दर 20% से अधिक रही है।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या

शहरी जनसंख्या 1951 में 17.3% से बढ़कर **2011 में 31.2%** हो गयी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शहरी निवासियों का अनुपात सबसे अधिक (97.5 प्रतिशत) है।

शहरों में रहने वाले लोगों के प्रतिशत के मामले में शीर्ष पांच राज्य गोवा (62.2%), मिजोरम (52.1%), तमिलनाडु (48.4%), केरल (47.7%) और महाराष्ट्र (45.2 प्रतिशत) हैं।

साक्षरता

भारत में साक्षरता दर 2001 में 64.8% से बढ़कर **2011 में 73%** हो गयी है , जो 8% की वृद्धि है।

पुरुषों की साक्षरता दर वर्तमान में 80.9% है, जो पिछली जनगणना से 5.6% अधिक है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर वर्तमान में 64.6% है, जो 2001 से 10.9% अधिक है।

सबसे अधिक वृद्धि दादरा और नगर हवेली में हुई, जहां 18.6 अंक की वृद्धि हुई (57.6 से 76.2%), उसके बाद बिहार (14.8 अंक) (47.0 से 61.8%) और त्रिपुरा (14.0 अंक) (73.2 प्रतिशत से 87.2 प्रतिशत) का स्थान रहा।

घनत्व

देश का जनसंख्या घनत्व 2001 में 325 से बढ़कर 2011 में 382 हो गया।

1106 की जनसंख्या घनत्व के साथ, बिहार ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है, जो 2001 में मुख्य राज्यों में शीर्ष स्थान पर था।

2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली (11,320) और चंडीगढ़ (9,258) सबसे घनी आबादी वाले दो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं।

अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व (17) 2001 और 2011 दोनों जनगणनाओं के लिए सही है।

लिंग अनुपात

वर्ष 2011 में देश में **1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं** थीं , जो पिछली जनगणना से 10% अधिक है, जब 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थीं।

2011 के अनुसार हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर 879 लड़कियाँ हैं, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (889 लड़कियाँ) और पंजाब (895 लड़कियाँ) का स्थान है।

बिहार (912 लड़कियाँ) और उत्तर प्रदेश (912 लड़कियाँ) अन्य दो राज्य हैं जो विषम लिंगानुपात (918 लड़कियाँ) के मामले में सबसे खराब स्थिति में हैं।
लिंगानुपात (979) के मामले में केरल (1,084 महिलाएं), तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश (993), छत्तीसगढ़ (991) और ओडिशा शीर्ष पांच राज्य थे।

बाल जनसंख्या

0 से 6 वर्ष आयु वर्ग **के बच्चों की संख्या में 0.4% की वृद्धि** हुई है ।
0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिंग अनुपात में 8% की कमी आई है। 2001 में 927 लड़कियों की तुलना में, 2011 में बाल लिंग अनुपात (0-6) 1000 लड़कों पर 919 लड़कियाँ है।
वर्ष 2001 से 2011 के दौरान, लड़कों (0 से 6 वर्ष) की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि लड़कियों की संख्या में गिरावट आई।
0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिंगानुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात (888), जम्मू और कश्मीर (888), हरियाणा (834 महिलाएं), पंजाब (846) और जम्मू और कश्मीर (862) हैं। (890).
छत्तीसगढ़ (969), केरल (964), असम (962), पश्चिम बंगाल (956) झारखंड (948) और कर्नाटक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं (948)।

एससी/एसटी डेटा

जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 31 राज्यों (यूटी सहित) और 30 राज्यों में सूचित किया गया है। कुल मिलाकर 1,241 अलग-अलग जातीय समूह हैं जिन्हें एससी के रूप में नामित किया गया है। 705 अलग-अलग जातीय समूह हैं जिन्हें एसटी के रूप में नामित किया गया है।
पिछले दस वर्षों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ संशोधन हुए हैं।
पिछली जनगणना के बाद से भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 20% बढ़कर 201.4 मिलियन हो गई है। 2011 में, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 104.3 मिलियन थी, जो 2001 से 23.7% अधिक है।

धार्मिक जनसांख्यिकी

25 अगस्त 2015 को भारत सरकार ने 2011 की जनगणना से धार्मिक आंकड़े उपलब्ध कराये।
हिंदुओं की जनसंख्या 79.8% (966.3 मिलियन) है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 14.23% (172.2 मिलियन) है।
2011 की जनगणना में पहली बार "कोई धर्म नहीं" श्रेणी जोड़ी गई थी। भारत में 2011 की जनगणना में 2.87 मिलियन लोगों को "कोई धर्म नहीं" श्रेणी में गिना गया था। - भारत में 1.21 बिलियन लोगों का 0.24%।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी)

1931 के बाद पहली बार सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 में की गई।
इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक भारतीय परिवार (शहरी एवं ग्रामीण दोनों) का सर्वेक्षण करना तथा निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करना है:

- केन्द्रीय/राज्य प्राधिकरणों को अभाव सूचकों की एक श्रृंखला विकसित करने में सक्षम बनाना, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण किसी गरीब या वंचित व्यक्ति को नामित करने के लिए कर सके।
- सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना कि क्या जाति समूह आर्थिक रूप से अधिक लाभान्वित हैं या कम।

SECC जनगणना का महत्व

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) में उच्च स्तर पर असमानताओं का मानचित्रण करने की क्षमता है।
जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों या कल्याणकारी कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए सांख्यिकीय समर्थन स्थापित करना सहायक होगा।
यह कानूनी रूप से भी आवश्यक है क्योंकि न्यायालय आरक्षण के वर्तमान स्तर को पुष्ट करने के लिए "मात्रात्मक डेटा" की मांग करते हैं।
भारतीय संविधान भी जाति जनगणना कराने के विचार का समर्थन करता है।
अनुच्छेद 340 के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूहों की परिस्थितियों पर गौर करने तथा सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले उचित कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

SECC जनगणना से संबंधित चिंताएं

जाति जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक परिणाम होंगे क्योंकि जाति में एक भावनात्मक घटक होता है।

जाति गणना से यह प्रश्न उठा है कि क्या इससे पहचान मजबूत होती है या मजबूत होती है।
भारत में जाति कभी भी वर्ग या वंचित स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है; इसके बजाय, यह एक प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे चला जाता है।

निष्कर्ष

जनगणना आवश्यक और अमूल्य है क्योंकि यह राष्ट्र के बारे में सभी उपलब्ध सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करती है और यह एक सामाजिक लाभ है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से, स्वैच्छिक रूप से और सार्वजनिक धन की सहायता से आयोजित की जाती है।
प्रमुख महानगरीय केन्द्र के बाहर छोटे दो-स्तरीय समुदायों की ओर प्रवास की व्यापक प्रवृत्ति को संभवतः नई जनगणना में शामिल किया जाएगा। इससे यह जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है तथा वे कहां उपलब्ध हैं।
हालांकि, मूलतः यह राज्य के लिए यह दिखाने का एक तरीका है कि वह उन नागरिकों के साथ जुड़ना चाहता है जो अंततः देश का निर्माण करेंगे, तथा इसके लिए वह उनके सभी दरवाजे खटखटाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (MCQ)

प्रश्न: भारत की वर्तमान जनगणना क्या है?
उत्तर: पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अगली जनगणना 2024 के आम चुनाव के बाद होगी।

प्रश्न: भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी?
उत्तर: भारत की पिछली दशकीय जनगणना 9 से 28 फरवरी 2011 तक आयोजित की गई थी, जिसका पुनरीक्षण दौर 1 से 5 मार्च 2011 तक आयोजित किया गया था।

प्रश्न: क्या भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है?
उत्तर: भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। हालाँकि, 2021 की जनगणना को COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

प्रश्न: पहली भारतीय जनगणना किसने की थी?
उत्तर: नागरिकों के लिए पहली ज्ञात जनगणना 1830 में **हेनरी वाल्टर** द्वारा डाक (जिसे ढाका के नाम से भी जाना जाता है) में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में सातवीं जनगणना थी।

VIDYA ICS
Dedicated To Civil Services

भारत में पहली बार जनगणना **1872 ईसवी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल** में हुई थी, किन्तु **1881 ईसवी से लॉर्ड रिपन के** कार्यकाल से प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर **क्रमवार एवं सुव्यवस्थित ढंग से आकलन प्रारंभ हो गया।** भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू. सी. प्लाउडेन थे। वर्ष **2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का 7 वाँ जनगणना** था जिसका शुभंकर एक 'प्रगणक शिक्षिका' को बनाया गया था जबकि जनगणना-2011 का स्लोगन "**हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य**" था।

Note : भारत का क्षेत्रफल (32,87,263 वर्ग किमी) विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या, सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है।

भारत की कुल जनसंख्या - 2011

वर्ष	देश की कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
2001	1,02,87,37,436	53,22,23,090 (51.73%)	49,65,14,346 (48.27%)
2011	1,21,08,54,977	62,32,70,258 (51.47%)	58,75,84,719 (48.53%)

वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 102.87 करोड़ थी जो कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 121.08 करोड़ हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.70% है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15 वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7 वीं जनगणना है, वही 21 वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। भारत का क्षेत्रफल (32,87,263 वर्ग किमी) विश्व के कुल क्षेत्रफल का **2.4%** है जबकि भारत की जनसंख्या, सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या का **17.5%** है।

भारत की दशकीय वृद्धि दर के आंकड़े
(जनगणना - 2011)

राज्य/के. शा. प्र.	दशकीय वृद्धि दर
दादरा और नगर हवेली	55.88
दमन एवं दीव	53.76%
पुददुचेरी	28.08%
मेघालय	27.95%
अरुणाचल प्रदेश	26.03%
बिहार	25.42%
मणिपुर	24.50%
जम्मू कश्मीर	23.64%
मिजोरम	23.48%
छत्तीसगढ़	22.61%
झारखंड	22.42%
राजस्थान	21.31%
दिल्ली	21.21%%
मध्य प्रदेश	20.35%
उत्तर प्रदेश	20.23%

भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले पाँच राज्य
(जनगणना - 2011)

उत्तर प्रदेश	19,98,12,341 (16.51%)
महाराष्ट्र	11,23,74,333 (9.28%)
बिहार	10,40,99,452 (8.60%)
पश्चिम बंगाल	9,12,76,115 (7.54%)
आंध्र प्रदेश	84,580,777 (6.99%)

भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले पाँच केंद्र शासित प्रदेश

(जनगणना - 2011)

दिल्ली	1,67,87,941
पुददुचेरी	12,47,953
चंडीगढ़	10,55,450
अंडमान निकोबार	3,80,581
दादरा और नगर हवेली	3,43,709

क्षेत्रफल की दृष्टि से : भारत के राज्य

सबसे बड़ा राज्य	राजस्थान
सबसे छोटा राज्य	गोवा
सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश	अंडमान एवं निकोबार
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश	लक्षद्वीप

जनसंख्या की दृष्टि से : 2011

सबसे बड़ा राज्य	उत्तर प्रदेश
सबसे छोटा राज्य	सिक्किम
सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश	दिल्ली
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश	लक्षद्वीप

लिंगानुपात की दृष्टि से : 2011

सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य	केरल (1084)
सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य	हरियाणा (879)
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश	पुदुचेरी (1037)
सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश	दमन एवं दीव (618)
सर्वाधिक शिशु (0-6) लिंगानुपात वाला राज्य	अरुणांचल प्रदेश (972)
सर्वाधिक शिशु (0-6) लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश	अंडमान एवं निकोबार (968)
न्यूनतम शिशु (0-6) लिंगानुपात वाला राज्य	हरियाणा (834)
न्यूनतम शिशु (0-6) लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश	दिल्ली (871)

जनघनत्व की दृष्टि से : 2011

सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य	बिहार (1106)
सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश	दिल्ली (11320)
न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य	अरुणाचल प्रदेश (17)
न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश	अंडमान एवं निकोबार (46)

साक्षरता की दृष्टि से : 2011

सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य	केरल (94%)
सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश	लक्षद्वीप (91.80%)
न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य	बिहार (61.80%)
न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश	दादरा एवं नगर हवेली (76.20%)

भारत में जनगणना

जनगणना एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित महत्वपूर्ण गणना प्रक्रिया है जिसमें एक देश के सभी नागरिकों की जनसंख्या, उनके सामाजिक, आर्थिक, और अन्य प्रमुख विशेषताओं का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। यह डेटा सरकारों को नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाने और संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है।

भारत में दशकीय जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह कार्यालय जनगणना की प्रक्रिया को संचालित करते हैं और जनसंख्या डेटा को संकलित, विश्लेषित और प्रस्तुत करते हैं।

1951 तक, प्रत्येक जनगणना के लिए एक विशेष संगठन की स्थापना की गई थी, जो उस समय के आधार पर जनगणना की प्रक्रिया को संचालित करता था।

भारतीय जनगणना का इतिहास

भारत की जनगणना का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, जब ऋग्वेद में जनसंख्या के आँकड़ों का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में, मौर्य साम्राज्य और मुगल काल में भी जनगणना के प्रमाण मिलते हैं।

लेकिन, आधुनिक जनगणना की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में हुई।

प्रमुख चरण:

1872: पहली गैर-तुल्यकालिक जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई।
1881: पहली तुल्यकालिक जनगणना 17 फरवरी को डब्ल्यू.सी. प्लौडेन द्वारा करवाई गई।
1901: तीसरी जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के सुदूर इलाकों को शामिल किया गया।
1921: "द ग्रेट डिवाइड" वर्ष: 1911-21 के दशक में जनसंख्या में पहली बार गिरावट देखी गई।
1951: स्वतंत्रता के बाद, 1951 में पहली जनगणना हुई।
1991: साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया, 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया।
2001: प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा, हाई स्पीड स्कैनर और ICR का इस्तेमाल किया गया।
2011: पहली बार EAG राज्यों में जनसंख्या में गिरावट देखी गई।
2021: कोविड-19 के कारण स्थगित, यह पहली डिजिटल और स्व-गणना जनगणना होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है।
- 2021 की जनगणना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गणना भी शामिल होगी।
- यह भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण प्रदान करती है।
- योजना बनाने और नीति निर्धारण में मदद करती है।

निष्कर्ष:

भारत की जनगणना न केवल जनसंख्या की गणना करती है, बल्कि यह देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का भी आईना है। यह विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और राज्यों के बीच समानता और असमानता को उजागर करती है।

यह डेटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने और सभी नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है।